

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— अरुण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
472 / 2025

दायर दिनांक
18.09.2025

आदेश दिनांक
8/10/2026

1. श्री सुरेशचंद्र सिंघवी पिता श्री मांगी लाल सिंघवी महाजन, निवासी बोरड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतना पुत्र छोगा जाट, निवासी बोरड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमति नानी पत्नि रतना जाट, निवासी बोरड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थी भोपाल लाल गुर्जर उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. विपक्षी संख्या 04 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: आदेश ::

आदेश दिनांक 8/10/21

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरड़ा, पटवार हल्का, गठीलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 429 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काशतकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 सम्मन बाद अदम तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काशतकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरडा, पटवार हल्का गठीलाखेडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 429 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक8/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो और नंबर से कम हो।


(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा